

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 10 जनवरी, 2018

पौष 20, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

संख्या 136/71-2-2018-एस-9-2014

लखनऊ, 10 जनवरी, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई. इटावा अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2016) की धारा 50 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का निम्नलिखित उपबंध इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 4 जून, 2018 तक की अवधि के दौरान लागू होगा :-

“केवल ऐसा व्यक्ति कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा जो 65 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ली हो। कुलपति अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, के लिये पद धारण करेगा।”

आज्ञा से,
डा० रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 136/LXXI-2-2018-S-9-2014, dated January 10, 2018:

No. 136/LXXI-2-2018-S-9-2014

Dated Lucknow, January 10, 2018

IN exercise of the powers under section 50 of the Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifai, Etawah Act, 2015 (U.P. Act no. 15 of 2016), the Governor is pleased to direct that the following provision of the Uttar Pradesh State University Act, 1973 shall apply during the period from the date of publication of this notification upto June 04, 2018:-

"Only such person shall be eligible for the appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 years. The Vice-Chancellor shall hold the office for a term of three years from the date he enters upon his office or till he attains the age of sixty-eight years, whichever is earlier."

By order,
Dr. RAJNEESH DUBE,
Pramukh Sachiv.